न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/57
तारीख रज्जू 27.06.2018

2018/59

01– रामप्रसाद पुत्र स्व0 श्री हरिकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम नांगल टोडियार तहसील मालाखेडा जिला अलवर –प्रार्थी

बनाम

01– कौशल्या देवी पत्नी जगदीश पुत्री हरिकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर **(मृतक)**

01/1– जगदीश पुत्र हीरालाल जाति अहीर

1/2– रमेश पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासीयान ग्राम धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर

1/3– ननगो देवी पुत्री जगदीश पत्नी मोहनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम नंगला तहसील राजगढ जिला अलवर

02– उप पंजीयक महोदय मालाखेडा जिला अलवर

03– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर –अप्रार्थीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89 एवं 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39

नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जा०दी०

–: निर्णय :– दिनांकः **30.10.2019**

वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया जिसका सूक्ष्य वृत्तान्त इस प्रकार है कि **खाता संख्या 196** में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 448 रकबा 21 ऐयर, 449 रकबा 20 ऐयर, 449/970 रकबा 10 ऐयर,

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

(6)

456 रकबा 25 ऐयर, 460 रकबा 10 ऐयर, 461 रकबा 35 ऐयर, 463 रकबा 16 ऐयर, 464 रकबा 31 ऐयर, 465 रकबा 30 ऐयर, 466 रकबा 32 ऐयर, 467 रकबा 23 ऐयर, 470 रकबा 19 ऐयर, 471 रकबा 17 ऐयर, 472 रकबा 39 ऐयर, 473 रकबा 41 ऐयर, 474 रकबा 49 ऐयर, 475 रकबा 7 ऐयर, कुल किता 17 रकबा 4.25 है० **खाता संख्या 204** में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 450 रकबा 5 ऐयर तथा **खाता संख्या 205** में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 62 ऐयर, **खाता संख्या 208** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 51 ऐयर, 207 रकबा 22 ऐयर, 451 रकबा 18 ऐयर, किता 3 रकबा 91 ऐयर **खाता संख्या 247** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 183 रकबा 48 ऐयर, 184 रकबा 25 ऐयर, 185 रकबा 28 ऐयर, कुल किता 3 रकबा 1.01 है0, **खाता संख्या 248** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 619 रकबा 71 ऐयर, 620 रकबा 35 ऐयर, 621 रकबा 25 ऐयर, 622 रकबा 88 ऐयर कुल किता 4 रकबा 2.19 है०, **खाता संख्या 249** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 393 रकबा 5 ऐयर, 394 रकबा 5 ऐयर, 395 रकबा 10 ऐयर कुल किता 3 रकबा 20 ऐयर, **खाता संख्या 250** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 427 रकबा 12 ऐयर, 428 रकबा 29 ऐयर, 430 रकबा 48 ऐयर, कुल किता 3 रकबा 89 ऐयर, **खाता संख्या 259** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 706 रकबा 49 ऐयर, 707 रकबा 50 ऐयर, 708 रकबा 10 ऐयर, 709 रकबा 13 ऐयर, 710 रकबा 20 ऐयर किता 5 रकबा 97 ऐयर, **खाता संख्या 274** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 18 ऐयर, 108 रकबा 2 ऐयर, 109 रकबा 11 ऐयर, 110 रकबा 9 ऐयर, 111 रकबा 9 ऐयर, 112 रकबा 26 ऐयर, 113 रकबा 17 ऐयर, 114 रकबा 18 ऐयर 115 रकबा 17 ऐयर, 116 रकबा 18 ऐयर, किता 10 रकबा 1.45 है० वाके ग्राम नांगल टोडियार तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० में स्थित है। जो आराजी विवादित आराजी है, प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक आराजी है। प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 आपस में सगे भाई बहिन है और उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई समस्त चल व अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पक्ष में तर्क कर दिया जिसका दस्तावेज 100/–रू0 के एक किता स्टाम्प व तीन पाईप पेपरों पर दिनांक 20.09.2004 को तहरीर करा कर उप पंजीयक मालाखेडा के यहॉ उसी दिन दिनांक 20.09.2004 को पंजीबद्ध करा दिया है तथा उक्त तर्कनामा के बाद से ही

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

मिन प्रार्थी, अप्रार्थी की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। तर्कनामें में स्वंय अप्रार्थनी ने यह भी अंकन किया है कि मैं उक्त रिलिज अपनी स्वेच्छा से अपने भाई के हक में तहरीर व तकमील कर रही हूँ तथा आज के बाद मेरा व मेरे वारिसों का उक्त चल व अचल सम्पत्ति से कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं होगा तथा प्रार्थी उक्त आराजी का इंतकाल उक्त तर्कनामें के आधार पर अपने हक में मंजूर करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करायेगा तो मुझे किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं होगा। इस प्रकार प्रार्थी विवादित आराजी पर बतोर खातेदार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा हैं जिस आराजी से अप्रार्थी संख्या 1 का कोई संबंध वो सरोकार व कब्जा नहीं रहा है। किन्त अप्रार्थी संख्या 1 उम्रदराज महिला हो चुकी है तथा जिसको अपना भला बुरा सोचने की क्षमता भी क्षीण हो चुकी है इसलिए वो दीगर लोगों के प्रभाव में आकर उक्त आराजी को जबरन विधि विरूद्ध तरीके से दीगर लोगों को बेचान करने पर उतारू है जिसका कि उसे किसी प्रकार का कोई हक वो अधिकार नहीं है चूँकि उक्त चल व अचल सम्पत्ति वाके ग्राम नांगल टोडियार बाबत प्रतिवादीसंख्या 1 प्रार्थी के पक्ष में रिलिज डीड पूर्व में ही दिनांक 20.09.2004 को करवा चुकी है तथा उक्त रिलिज डीड उप पंजीयक मालाखेडा के यहॉ पंजीबद्ध भी हो चुकी है जिसके हिस्से की कुछ आराजी का नामांतकरण भी मिन प्रार्थी के नाम दर्ज व स्वीकार हो चुका है किन्तु सहबन से विवादित आराजी का नामांतकरण दर्ज व स्वीकार होने से रह जाने के कारण विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है। उक्त गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 दीगर लोगों के बहकावे में आकर आराजी मुतनाजा को बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 का खाता संख्या 196 में 1/16, खाता संख्या 204 में 3/4 में 1/8, खाता संख्या 205 में 1/9 में से 1/8 तथा खाता संख्या 208 में 1/8, खाता संख्या 247 में 1/32 तथा खाता संख्या 248 में 1/6 तथा खाता संख्या 249 में 1/16 तथा खाता संख्या 250 में 9/80, 259 के 2 बीघा 17 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा तथा खाता संख्या 274 में 4/5 में से 1/7 हिस्सा है तथा विवादित सालिम आराजी मिनवादी व प्रतिवादी संख्या 1 की गैर खातेदारी/पट्टे की है।

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वो **खाता संख्या 196** में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 448 रकबा 21 ऐयर, 449 रकबा 20 ऐयर, 449/970 रकबा 10 ऐयर, 456 रकबा 25 ऐयर, 460 रकबा 10 ऐयर, 461 रकबा 35 ऐयर, 463 रकबा 16 ऐयर, 464 रकबा 31 ऐयर, 465 रकबा 30 ऐयर, 466 रकबा 32 ऐयर, 467 रकबा 23 ऐयर, 470 रकबा 19 ऐयर, 471 रकबा 17 ऐयर, 472 रकबा 39 ऐयर, 473 रकबा 41 ऐयर, 474 रकबा 49 ऐयर, 475 रकबा 7 ऐयर, कुल किता 17 रकबा 4.25 है० **खाता संख्या 204** में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 450 रकबा 5 ऐयर तथा **खाता संख्या 205** में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 62 ऐयर, **खाता संख्या 208** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 51 ऐयर, 207 रकबा 22 ऐयर, 451 रकबा 18 ऐयर, किता 3 रकबा 91 ऐयर **खाता संख्या 247** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 183 रकबा 48 ऐयर, 184 रकबा 25 ऐयर, 185 रकबा 28 ऐयर, कुल किता 3 रकबा 1.01 है0, **खाता संख्या 248** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 619 रकबा 71 ऐयर, 620 रकबा 35 ऐयर, 621 रकबा 25 ऐयर, 622 रकबा 88 ऐयर कुल किता 4 रकबा 2.19 है०, **खाता संख्या 249** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 393 रकबा 5 ऐयर, 394 रकबा 5 ऐयर, 395 रकबा 10 ऐयर कुल किता 3 रकबा 20 ऐयर, **खाता संख्या 250** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 427 रकबा 12 ऐयर, 428 रकबा 29 ऐयर, 430 रकबा 48 ऐयर, कुल किता 3 रकबा 89 ऐयर, **खाता संख्या 259** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 706 रकबा 49 ऐयर, 707 रकबा 50 ऐयर, 708 रकबा 10 ऐयर, 709 रकबा 13 ऐयर, 710 रकबा 20 ऐयर किता 5 रकबा 97 ऐयर, **खाता संख्या 274** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 18 ऐयर, 108 रकबा 2 ऐयर, 109 रकबा 11 ऐयर, 110 रकबा 9 ऐयर, 111 रकबा 9 ऐयर, 112 रकबा 26 ऐयर, 113 रकबा 17 ऐयर, 114 रकबा 18 ऐयर 115 रकबा 17 ऐयर, 116 रकबा 18 ऐयर, किता 10 रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम नांगल टोडियार तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० से प्रार्थी को जबरन बेदखल कर कब्जा ना करे ना ही प्रार्थी के कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने काटने व लाने व ले जाने में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा ना करे तथा अप्रार्थी संख्या 2 को पाबंद फरमाया जावे

रामप्रसाद बनाम कौशल्या

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

कि वो विवादित आराजी का कोई दस्तावेज पंजीबद्ध ना करें तथा रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखें।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 27.06.2018 को अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक **खाता संख्या 196** में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 448 रकबा 21 ऐयर, 449 रकबा 20 ऐयर, 449/970 रकबा 10 ऐयर, 456 रकबा 25 ऐयर, 460 रकबा 10 ऐयर, 461 रकबा 35 ऐयर, 463 रकबा 16 ऐयर, 464 रकबा 31 ऐयर, 465 रकबा 30 ऐयर, 466 रकबा 32 ऐयर, 467 रकबा 23 ऐयर, 470 रकबा 19 ऐयर, 471 रकबा 17 ऐयर, 472 रकबा 39 ऐयर, 473 रकबा 41 ऐयर, 474 रकबा 49 ऐयर, 475 रकबा 7 ऐयर, कुल किता 17 रकबा 4.25 है० **खाता संख्या 204** में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 450 रकबा 5 ऐयर तथा **खाता संख्या 205** में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 62 ऐयर, **खाता संख्या 208** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 51 ऐयर, 207 रकबा 22 ऐयर, 451 रकबा 18 ऐयर, किता 3 रकबा 91 ऐयर **खाता संख्या 247** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 183 रकबा 48 ऐयर, 184 रकबा 25 ऐयर, 185 रकबा 28 ऐयर, कुल किता 3 रकबा 1.01 है0, **खाता संख्या 248** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 619 रकबा 71 ऐयर, 620 रकबा 35 ऐयर, 621 रकबा 25 ऐयर, 622 रकबा 88 ऐयर कुल किता 4 रकबा 2.19 है०, **खाता संख्या 249** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 393 रकबा 5 ऐयर, 394 रकबा 5 ऐयर, 395 रकबा 10 ऐयर कुल किता 3 रकबा 20 ऐयर, **खाता संख्या 250** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 427 रकबा 12 ऐयर, 428 रकबा 29 ऐयर, 430 रकबा 48 ऐयर, कुल किता 3 रकबा 89 ऐयर, **खाता संख्या 259** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 706 रकबा 49 ऐयर, 707 रकबा 50 ऐयर, 708 रकबा 10 ऐयर, 709 रकबा 13 ऐयर, 710 रकबा 20 ऐयर किता 5 रकबा 97 ऐयर, **खाता संख्या 274** में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 18 ऐयर, 108 रकबा 2 ऐयर, 109 रकबा 11 ऐयर, 110 रकबा 9 ऐयर, 111 रकबा 9 ऐयर, 112 रकबा 26 ऐयर, 113 रकबा 17 ऐयर, 114 रकबा 18 ऐयर 115 रकबा 17 ऐयर, 116 रकबा 18 ऐयर, किता 10 रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

नांगल टोडियार तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० में स्थित आराजी का रहन बय नही करने एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु बाबत पाबन्द किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 ने जर्ये वकील उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जवाब में प्रार्थी ने जिमन नंबर 1 में केवल इतना स्वीकार है कि उक्त अनुवानी दावा प्रार्थी ने अदालत श्रीमान् में पेश किया है, बाकी लेख गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को दावे में कामयाबी की आशा स्वप्न मात्र है। दावा गलत तथ्यों के साथ बिला अधिकार प्रस्तुत किया गया है, जो हर सूरत में खारिज किए जाने योग्य है। दावे के तथ्य प्रार्थना पत्र के साथ पढे जाने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। जिमन नंबर 2 जिस तरह वर्णित किया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। विवादित आराजी प्रार्थी की पैतृक आराजी कतई नहीं है। प्रार्थी ने अपने पिता का नाम हरिकिशन भी दावे में गलत दर्ज किया है, जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मानसिंह है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 आपस में सगे भाई–बहिन हो तथा विवादित आराजी प्रार्थी को भी विरासत में प्राप्त हुई हों। मिन अप्रार्थी संख्या 1 के कोई भाई था ही नहीं। क्योंकि अप्रार्थी के पिता हरिकिशन के कोई पुत्र ही उत्पन्न नहीं हुआ था तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने पिता की इकलोती संतान है। प्रार्थी ने जानबूझ कर बराय बदयान्ति परिवार का सजरा अंकित नहीं किया है। परिवार का सजरा आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है:–

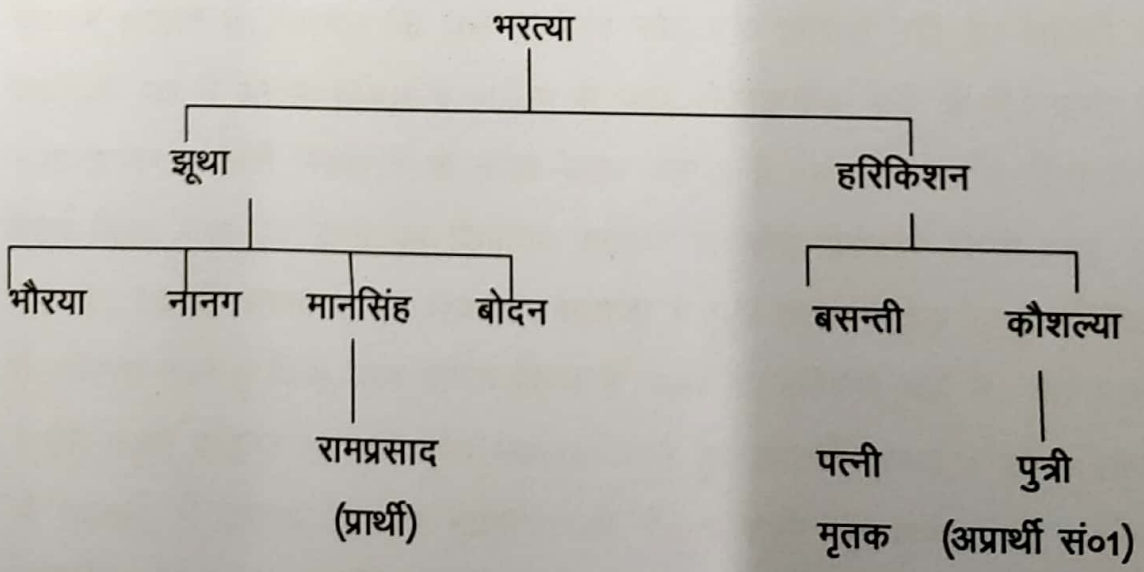

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त सजरा मुताबिक दावा अंतर्गत आराजी से प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार किसी तरह का नहीं है। जिमन नंबर 3 जिस तरह वर्णित किया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित आराजी हरिकिशन की विरासत से कतई प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी के पक्ष में मिन अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजी कभी तर्क नहीं की गई थी। तथाकथित दस्तावेज तर्कनामा दिनांक 20.09.2004 धोखे, बेईमानी व चालाकी से मिन अप्रार्थी की जानकारी के बिना कराया गया है, जो कानूनन मिन अप्रार्थी संख्या 1 पर नाकाबिल पाबन्दी है। प्रार्थी का विवादित आराजी से अथवा स्व० हरिकिशन की किसी भी चल व अचल संपत्ति से कोई संबंध व सरोकार किसी तरह का नहीं है न प्रार्थी का कोई कब्जा है। मिन अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी सहमति व स्वेच्छा एवं अपनी जानिब से कभी कोई तर्कनामा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया था। इसलिए तथाकथित तर्कनामा व उसमें दर्ज कोई भी बात मिन अप्रार्थी संख्या 1 पर कानून नाकाबिल पाबन्दी है। जिमन नंबर 4 जिस तरह वर्णित किया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार काबिज काश्तकार नहीं है न उसका कोई कब्जा है और न कोई सरोकार है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 उम्रदराज महिला हो चुकी हो और उसकी अपना भला–बुरा सोचने की क्षमता भी क्षीण हो गई हो। बल्कि सही तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 स्वस्थ्य चित्त दिमाग वाली महिला है और अपना भला–बुरा अच्छी तरह से समझती है। प्रार्थी नाजायज रूप से धोखे, फरेब व बेईमानी पूर्वक कराये गये विवादित तर्कनामा की आड में मिन अप्रार्थी की आराजी मुतनाजा को हडपना चाहता है, जिसका कि उसे कानूनन कोई हक हॉसिल नहीं है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के पक्ष में अपनी स्वेच्छा व जानिब से कोई रिलीजडीड नहीं की है। प्रार्थी ने नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 1 के बाला–बाला कराया है, जो बिना जॉच किये दर्ज मंजूर किया गया है। प्रार्थी का विवादित आराजी से कोई सरोकार किसी तरह का नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित आराजी में पूरी तरह से हक हकूक हॉसिल है। जिमन नंबर 5 जिस तरह वर्णित किया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। यह गलत है कि गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 दीगर लोगों के बहकावे में आकर आराजी मुतनाजा को बेचान करने पर आमादा हो। बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित आराजी में सभी हक हकूक कानूनी रूप से हॉसिल है,

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

जिससे किसी भी तरह से वंचित करने का प्रार्थी को कोई हक हॉसिल नहीं है। जिमन नंबर 6 जिस तरह वर्णित किया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। विवादित आराजी सालिम से प्रार्थी का कोई संबंध एवं सरोकार किसी तरह का नहीं हैं प्रार्थी फर्जी तरीके से मिन अप्रार्थी संख्या 1 का सगा भाई एवं मिन अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व० हरिकिशन का पुत्र बनकर विवादित आराजी को हडपना चाहता है और आराजी मुतनाजा पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी को किसी तरह का कोई नुकसान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि प्रार्थी विवादित आराजी से गैरकाबिज एवं गैरवास्ता शख्स है। जिमन बाबत् प्रार्थना है प्रार्थी, अप्रार्थी के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय विशेष हर्जा खारिज किए जाने योग्य है।

प्रार्थी ने गलत व बेबुनियाद दावा पेश किया है और अप्रार्थी संख्या 1 को बेजा मुकदमेबाजी में फॅसाकर तंग परेशान व खर्चे से भी जेरबार किया है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी किसी तरह से आयद व साबित नहीं है, न ही प्रार्थी ने ऐसा कथन किया है कि उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में आयद व साबित है और न ही प्रार्थी ने अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने बाबत कोई अभिवचन प्रार्थना पत्र में किए है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जा सहित खारिज किए जाने योग्य है। तथाकथित विवादित हक त्याग स्व० हरिकिशन की आराजी के बाबत कतई नहीं है। प्रार्थी स्व० हरिकिशन का पुत्र व मिन अप्रार्थी संख्या 1 का सगा भाई कतई नहीं है। बल्कि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के सगे चाचा मानसिंह का पुत्र होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 का चचेरा भाई है। इसलिए स्व० हरिकिशन की विरासत से प्रार्थी को न तो कुछ हॉसिल हुआ है, न हो सकता है और न प्रार्थी का उससे कोई संबंध व सरोकार है। प्रार्थी ने सहकाश्तकारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है तथा प्रार्थी गैरकाबिज होने के कारण घोषाणात्मक अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जिस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। इंतकाल संख्या 2 दिनांक 19.06.92 जो कि प्रार्थी के द्वारा दावा दायर करने के बाद जानकारी में आया है, हरिकिशन की विरासत का भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा दौरा ने सेटिलमेंट खोला गया था, जो भी मिल्लत से गलत खोला गया था। क्योंकि प्रार्थी स्व० हरिकिशन का पुत्र नहीं है। हरिकिशन के

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

(13)

स्वर्गवास के बाद उसकी माता बसन्ती एवं मिन अप्रार्थी संख्या 1 मृतक हरिकिशन की समस्त आराजी की देखभाल करते रहे, जिसमें यदा कदा मिन अप्रार्थी संख्या 01 का चचेरा भाई होने के कारण प्रार्थी मदद कर देता था और मिन अप्रार्थी संख्या 01 चचेरा भाई होने के कारण प्रार्थी पर पूरा विश्वास करती थी। इसी दौरान मिन अप्रार्थी संख्या 1 लगभग 63 साल की अनपढ महिला है तथा स्वयं आराजी मुतनाजा की देखभाल करने में असमर्थ है। अप्रार्थी संख्या 01 की कमजोर व अकेली होने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रार्थी ने मिन अप्रार्थी संख्या 01 से कहा कि उसे आराजी मुतनाजा की देखभाल के लिए मुखत्यारनामा की आवश्यकता है, जिसके बिना वह आराजी मुतनाजा के संबंध में समय–समय पर सरकारी विभागों में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कार्यवाही नहीं कर सकता है तथा प्रार्थी ने इसी उद्देश्य से मुखत्यारनामा करवाने के बहाने धोखे, चालाकी, बेईमानी की नियत से मिन अप्रार्थी संख्या 1 के अनपढ वृद्ध महिला होने का नाजायज फायदा उठाते हुए मुखत्यारनामा के बजाय अपने पक्ष में तथाकथित तर्कनामा करवा लिया और मिन अप्रार्थी संख्या 1 को दस्तावेज में लिखी किसी भी बात को न तो सुनाया गया न समझाया गया तथा मिन अप्रार्थी संख्या 1 ने केवल मुखत्यारनामा कराने की बात पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए प्रार्थी, जो कि अप्रार्थी संख्या 1 का खास चचेरा भाई है, पर विश्वास करते हुए अंगूठा निशानी कर दिये थे। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को तथाकथित तर्कनामा की कतई कोई जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को कतई नहीं थी। इसलिए तथाकथित दस्तावेज तर्कनामा व उसमें लिखी गई कोई भी बात मिन अप्रार्थी संख्या 1 पर कानूनन कतई नाकाबिल पाबंदी है। तथाकथित दस्तावेज तर्कनामा में किसी भी संपत्ति का कोई विवरण भी दर्ज नहीं है, जो कि कानूनन आवश्यकता है। इसलिए तथाकथित तर्कनामा विधि विरूद्ध दस्तावेज है, जिसकी बिना पर प्रार्थी को विवादित आराजी में कोई हक–हकूक कानूनन हॉसिल न तो हुए है न हो सकते है। विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की माता बसन्ती की नहीं थी बल्कि पिता स्व० हरिकिशन की थी किन्तु अकेली माता बसन्ती के नाम विरासत इंतकाल खोल दिया गया जबकि विरासत इंतकाल अप्रार्थी संख्या 1 के नाम भी खोला जाना चाहिये था। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 भी अपनी माता बसन्ती के साथ विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती थी। उक्त इंतकाल की बाबत अलग से कार्यवाही की जा रही

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

(14)

है। कुछ जमीन अप्रार्थी संख्या 1 के पिता हरिकिशन की गैरखातेदारी में आज भी दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी के पक्ष में जो इंतकाल तर्कनामा का दर्ज मंजर हुआ है, वह समस्त आराजी का नहीं हुआ है, न ही कानूनन हो सकता था। इसलिए भी विवादित आराजी से प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार किसी तरह का नहीं है तथा प्रार्थी कानूनन मजाजदावी नहीं है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। मौजूदा दावा दायर होने से पूर्व में भी अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी ने कई कोरे कागजों पर हस्ताक्षर यह विश्वास दिला कि वो मृतक हरिकिशन की आराजी के संबंध में खातेदारी प्राप्त करने आदि हेतु कानूनी कार्यवाही करनी है, कराये हुए है। विवादित आराजी तनहा अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिससे प्रार्थी का कोई लेना–देना किसी तरह का नहीं है, न कभी रहा है। धोखे, फरेब, बेईमान व चालाकी से कराये गये तर्कनामा को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 पृथक से सक्षम न्यायालय में कानून कार्यवाही कर रही है।

उभय पक्षो के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को (absolute) कर कन्फर्म करने का निवेदन किया व अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न नजीरें पेश कीः–

01– आर.बी.जे. 2016 पेज 468

02– आर.बी.जे. 2015 पेज 544

03– आर.आर.डी0 2002 पेज 744

04– आर.बी.जे. 2004 पेज 606

05– आर.आर.डी.1995 पेज 277

06– आर.आर.टी. 2019 पेज 306

पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उभय पक्षो के अभिभाषकगणों की बहस का मनन किया गया तो अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए ऑर्डर 39 रूल 1–2 जा० दी० व

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

दफा–151 जा0दी0 के निर्णय से "पूर्व प्रथमा दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, ना पूर्ति होने वाली क्षति की बिन्दुओं पर गौर करना आवश्यक है–

1. **प्रथम दृष्टया केस** :–

न्यायालय को सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (राजस्व रिकॉर्ड) पर गौर कर यह देखना है कि आया प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्ट्या बनना पाया जाता है अथवा नहीं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम का अंकन है अप्रार्थी का हाल जमाबन्दी में अंकन नही है एवं अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थी के पक्ष रिलीज डीडी (तर्कनामा) दिनांक 20.09.2004 को उप पंजीयक मालाखेडा के यहां पेश कर पंजीबद्ध कराया हुआ है। तर्कनामा के बाद समस्त चल अचल सम्पत्ति पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। तर्कनामें में स्वय अप्रार्थनी ने अंकन किया है उक्त रिलीज अपनी स्वेच्छा से अपने भाई के हक में तहरीर व तकमील कर रही हूँ। तर्कनामे के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में इंतकाल दर्ज व मंजूर हो चुका है। कुछ आराजी का इंतकाल सहबन से दर्ज व स्वीकार नही होने के कारण अप्रार्थी को बरगला व फुसला कर दीगर लोगो के बहकावे में आकर बेचान करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस बनना पाया जाता है। यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण निर्णित किया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन**:–

चुंकि विवादित आराजी हाल जमाबंदी से स्पष्ट पाया जाता है कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण का नाम का अंकन है चूँकि कुछ आराजी सहबन से इंतकाल दर्ज होने से रह गई है। जिस कारण अप्रार्थनी बहकावे में आकर आराजी को बेचान करने पर तुली हुई है। अप्रार्थनी का कोई कब्जा नही है, अप्रार्थनी ने प्रार्थी के पक्ष में तर्कनामा किया हुआ है। चूँकि तर्कनामे को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति नही दी गई है। अतः

कलक्टर

Scanned by CamScanner

सुविध का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे पाये जाने के कारण यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण निर्णित किया जाता है।

3. <u>ना पूर्ति होने वाली क्षतिः–</u>

प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन बिन्दुओ का निर्णय हो चुके है। अप्रार्थनी ने प्रार्थी के पक्ष में लगभग 16 वर्ष पूर्व तर्कनामा उप पंजीयक मालाखेडा के यहां तस्दीक कराकर पंजीबद्ध कराया है। तब से ही प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसका इंतकाल भी प्रार्थी के पक्ष में दर्ज हो चुका है। कुछ आराजी सहबन से इंतकाल दर्ज होने से रह गई है। जिसे अप्रार्थनी व उसके वारिसान बेचान करने पर उतारू है। इस कारण नापूर्ति क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाई जाती है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में आयद व साबित पाये जाने के कारण विरूद्ध अप्रार्थनीगण निर्णित कर तय किया जाता है।

प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व ना पूर्ति होने वाली क्षति पाये गये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1–2 जाब्ता दीवानी व 151 जाब्ता दीवानी आयद व साबित होने के कारण दिनांक 27.06.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (absolute) कर कन्फर्म की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील सलग्न मूल वाद रहे। सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner